

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI
NIT

जोन क्रमांक 03 अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य 2023-24

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	No of Tanker	Day	Trip/Day	Item Rate
					Qty
1	जोन 03 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु से ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2023-24)				
1	(01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक)	1	30	9	270
2	(01 मई से 31 अप्रैल 2023 तक)	2	31	9	558
3	(01 जून से 30 जून 2023 तक)	2	30	9	540
				Trip	1368.00

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई


सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

सुप अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

ट्रैक्टर

निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्रीष्म ऋतु में ट्रैक्टरों से जल परिवहन कार्य के नियम शर्तः-

1. निविदाकार व्यवसायिक उपयोग के लिए सड़क परिवहन विभाग RTO से अधिकृत ट्रैक्टर ट्रैक्टर से जल परिवहन का कार्य करेगा जिसकी जीवित R.C. Book की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
2. ट्रैक्टर ट्रैक्टर चालक के वाहन चालन का वैध लायसेंस की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. अनुबंधित अवधि में जल परिवहन कार्य के दौरान कोई दुर्घटना अनुबंधित वाहन से होती है, तो निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी। निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा वाहन के बीमा की प्रति जमा करना होगा।
4. पेयजल हेतु उपयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर में पीले रंग के पेंट से नगर पालिक निगम भिलाई, जोन क्र. () के साथ पेयजल परिवहन कार्य के लिए अनुबंधित लिखना अनिवार्य होगा।
5. पेयजल हेतु उपलब्ध कराई जाने वाले ट्रैक्टर ट्रैक्टर में निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया GPS सिस्टम लगाया जाना होगा GPS सिस्टम के सुरक्षा की जवाबदेही निविदाकार की होगी GPS सिस्टम के क्षतिग्रस्त/खराब होने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।
6. कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ट्रैक्टर ट्रैक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी की जा सकेगी। आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर ट्रैक्टर अनुबंधित दरों पर ही उपलब्ध कराने की जवाबदेही निविदादाता की होगी।
7. अनुबंध (निविदा अनुसार) अनुसार ट्रैक्टर ट्रैक्टर समय पर उपलब्ध न कराने की स्थिति में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर हुए व्यय की वसूली एजेंसी के देयक से की जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के विलंब के लिए रु. 2000/- तक दण्डक शुल्क प्रतिदिन के मान से कटौती की जावेगी
8. ट्रैक्टर ट्रैक्टरों में पानी निगम क्षेत्र अन्तर्गत निगम द्वारा निर्धारित हाइड्रेंट स्थल से भरा जाना होगा हाइड्रेंट स्थलों में जल की उपलब्धतानुसार पानी दिया जायेगा हाइड्रेंट स्थल परिवर्तन की स्थिति में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान देय नहीं होगा।
9. निविदा के किसी भी भाग/अंश को स्वीकार या अस्वीकार एवं संपूर्ण निविदा को स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
10. संपर्क निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, भिलाई